रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 15, 1991/कार्तिक 24, 1913

No. 421] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 15, 1991/KARTIKA 24, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1991

सं. 74/91–सीमाशुल्क

सा.का.नि. 690(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 146 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता अनुज्ञापन विनियम, 1984 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1.(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता अनुज्ञापन (संशोधन) विनियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त विनियम के विनियम 6 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:—

"(क) किसी अनुज्ञप्तिधारी का कर्मचारी है और उसके पास विनियम 20 के अधीन विहित प्ररूप छ में स्थायी पास है तथा सीमाशुल्क से माल की निकासी से संबंधित कार्य का ऐसे पास धारक की हैसियत में एक वर्ष से अन्यून की अवधि का अनुभव है; और"

3. उक्त विनियम के विनियम 8 में, उप विनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) ऐसा व्यक्ति जिसका आवेदन विनियम 8 के उप-विनियम (1) के अधीन अस्थायी अनुज्ञप्ति देने से सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा नामंजूर कर दिया गया है, अस्थायी अनुज्ञप्ति मंजूर न करने के ऐसे आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड को आक्षेपित आदेश की सूचना के 30 दिन के भीतर अभ्यावेदन कर सकेगा।'

4. उक्त विनियम के विनियम 10 में उपविनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) विनियम 10 के उपविनियम (3) के अधीन पारित कलक्टर के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड का आक्षेपित आदेश की सूचना के 30 दिन के भीतर अभ्यावेदन कर सकेगा।"

5. उक्त विनियम के विनियम 23 में उपविनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(8) विनियम 21 या विनियम 23 के उपविनियम (7) के अधीन किसी विनिश्चय या पारित आदेश द्वारा व्यथित कोई सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 129(1) के अधीन स्थापित सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क स्वर्ण (नियंत्रण) अपील, 129क के अधीन अपील कर सकेगा।"

[फा. सं. 502/42/89-सी.शु.-6]

डा. देवेन्द्र सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल्य विनियम 1984 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 85/84 तारीख 19-3-1984 द्वारा प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात अधिसूचना सं. 245 तारीख 17-10-1984 द्वारा संशोधन किये गये थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF EXCISE & CUSTOMS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 1991

NO. 74/91-CUSTOMS

G.S.R. 690(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of stction 146 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Customs House Agents Licensing Regulation, 1984 (hereinafter referred to as the said regulations), namely :—

1. (1) These regulations may be called the Customs House Agents Licensing (Amendment) Regulations, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 6 of the said regulations, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) is an employee of a licensee and that he possesses a permanent pass in Form G prescribed under regulation 20 and has the experience of work relating to clearance of goods through the customs, for a period of not less than one year, in the capacity of such a pass-holder ; and"

3. In regulation 8 of the said regulations, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

"(2) Any person, whose application for grant of temporary licence under sub-regulation (1) of regulation 8 is rejected by the Collector of Customs may represent to the Central Board of Excise and Customs against such order rejecting the grant of a temporary licence, within 30 days of the communication of the impugned order."

4. In regulation 10 of the said regulation, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

"(4) Any person aggrieved by the order of the Collector passed under sub-regulation (3) of regulation 10 may represent to the Central Board of Excise and Customs against such order within 30 days of the communication of the impugned order.

5. In regulation 23 of the said regulations, after sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

"(8) Any Custom House Agent aggrieved by any decision or order passed under regulation 21 or sub-regulation (7) of regulation 23, may appeal under section 129A of the Customs Act, 1962, to the Customs and Central Excise Gold (Control) Appellate Tribunal established under section 129 (1) of Customs Act, 1962."

[F. No. 502/42/89-CUS. VI]

DR. DEVENDER SINGH, Under Secy.

Foot Note : The Principal regulations of 1984 were published in the Gazette of India vide notification No. 85/84 dated 19-03-1984 and were subsequently amended vide Notification No. 245, dated 17-09-1984.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controllor of Publications, Delhi-110054, 1991